



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(36)पंरावि/प्रशा.1/अभि.संस्था/स्था.पद./22/3313 जयपुर, दिनांक :- 08.08.2022

—:संशोधन आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक 3065 दिनांक 26.7.2022 द्वारा जारी सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में क्र.सं. 10 पर अंकित श्री मनीष पूनिया, सहायक अभियन्ता के संबंध में वर्णित नवीन पदस्थापन स्थान के कॉलम में "पं.स. लूणकरणसर जिला बीकानेर" के स्थान पर "जिला परिषद बीकानेर" पढा जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज।
8. जिला कलक्टर, बीकानेर/भीलवाडा।
9. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर/भीलवाडा।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा।
11. विकास अधिकारी, पं.स. लूणकरणसर जिला बीकानेर।
12. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
13. श्री मनीष पूनिया, सहायक अभियन्ता को पालनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)